23-7-19 वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी के जमी
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने
व किसी भी अप्रार्थी के उप. नहीं होने पर
एकपक्षीय बहस करते हुए विराजनकर्ता
में अपने हक-हिस्से तक की भूमि पर
ता फैसला वाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा
को स्थाई करने का निवेदन किया। वकील
प्रार्थी की बहस पर गौर करने पर पाया
है पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई व्यादेश
दिनांक 23.7.18 को मूल वाद के फैसला
तक जारी किया जाता है। पत्रावली
बहस पूर्ण होकर मूल वाद-पत्र के
साथ शामिल हो

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर